न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 04/19 **सन् 2019**

आरसीएमएस संख्या 2019/00039

बउनवानी :– 1. श्योनारायण पुत्र मोहरपाल मीना निवासी परीता **(मतृक)** तह.व जिला करौली

1/1. गिर्राज पुत्र स्व. श्री श्योनारायण मीना निवासी परीता तह. करौली

1/2. हेमराज पुत्र स्व. श्री श्योनारायण मीना निवासी परीता तह. करौली

1/3. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री श्योनारायण मीना निवासी परीता तह. करौली

1/4. रामसिंह पुत्र स्व. श्री श्योनारायण मीना निवासी परीता तह. करौली

1/5. कंचन बाई पत्नि स्व. श्री श्योनारायण मीना निवासी परीता तह. करौली

1/6. गोपाली पुत्री स्व. श्री श्योनारायण पत्नि हरकेश मीना हाल निवासी मीना बडौदा

1/7. फुलवती पुत्री स्व. श्री श्योनारायण पत्नि दिनेश मीना हाल निवासी बिनेगा, गंगापुर

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री जगन्नाथ जाति महाजन **(मृतक)**

1/1. महादेव प्रसाद पुत्र स्व.श्री गिर्राज प्रसाद अग्रवाल निवासी परीता तह.करौली

1/2. सतीशचन्द पुत्र स्व.श्री गिर्राज प्रसाद अग्रवाल निवासी परीता तह.करौली

1/3. रामावतार पुत्र स्व.श्री गिर्राज प्रसाद अग्रवाल निवासी परीता तह.करौली

2. प्रहलाद कुमार पुत्र स्व.श्री गिर्राज प्रसाद अग्रवाल निवासी परीता तह.करौली

3. भगवती पुत्र स्व0 श्री गिरार्ज प्रसाद **(मृतक)**जाति महाजन निवासी ग्राम परीता तह.करौली

3/1. शकुन्तला पत्नि स्व. श्री भगवती जाति महाजन निवासी ग्राम परीता तह.करौली

3/2. पिन्टू पुत्र स्व. श्री भगवती जाति महाजन निवासी ग्राम परीता तह.करौली

3/3. आशा कुमारी पुत्री स्व. श्री भगवती जाति महाजन निवासी ग्राम परीता तह.करौली

4. भागीरथ पुत्र स्व. गिर्राज प्रसाद जाति महाजन निवासी ग्राम परीता तह.करौली

5. शिम्भू दयाल पुत्र स्व. गिर्राज प्रसाद**(मृतक)**जाति महाजन निवासी परीता तह.करौली

5/1. देबू पुत्र स्व. श्री शिम्भूदयाल जाति महाजन निवासी परीता तह0 करौली

5/2. राहुल पुत्र स्व. श्री शिम्भूदयाल जाति महाजन निवासी परीता तह0 करौली

5/3. ऊषा देवी पत्नि स्व. श्री शिम्भूदयाल जाति महाजन निवासी परीता तह0 करौली

6. गोविन्द पुत्र स्व. गिर्राज प्रसाद जाति महाजन निवासी परीता तह0 करौली

7. भंवर बाई पुत्री स्व. गिर्राज प्रसाद पत्नि सुरेशचन्द महाजन नि0 सुल्तानपुरी पी–1 दिल्ली

8. गुडडी देवी पुत्री गिर्राज प्रसाद पत्नि अशोक गोयल जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन सिटी जिला करौली

9. श्रीमति सुनिता यादव, सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी मे जैरकार प्रकरण सख्या 127/97 दावा उनवानी महादेव प्रसाद बनाम गिर्राज वगै. अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट)

उपस्थितः 1. श्री बृजेन्द्र विजयवर्गीय — वकील प्रार्थीगण

2. श्री रमेशचन्द गोयल — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– **दिनांक 1.10.2019**

वकील प्रार्थी ने न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी में विचाराधीन प्रकरण सख्या 127/97 दावा उनवानी महादेव प्रसाद बनाम गिर्राज वगै. के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि उनवानी मुकदमा महादेव प्रसाद बनाम श्योनारायण वगै. सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय में विचाराधीन है जो वास्ते फैसला नियत है। सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी श्रीमति सुनिता यादव द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 8 से साज कर चुके है एवं अनुचित लाभ देकर वादीगण का दावा डिक्री करने पर तुले हुए है। वादीगण व वकील वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 को ऐलानिया कहा है कि उक्त वाद पत्र हमारे पक्ष मे डिक्री होगा हमने श्रीमान के चैम्बर मे जाकर बात कर ली है तथा वादीगण को

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

भी कार्यालय व घर पर आते जाते देखा है एवं चेम्बर मे से निकलते हुए व बातचीत करते देखा है। इस प्रकार की गतिविधियों को देखते हुए प्रार्थीगण का अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुनिता यादव से विश्वास उठ गया है ओर कतई न्याय की उम्मीद नही है क्योकि वह अनुचित लाभ व भ्रष्टाचार को बढावा देकर हम प्रार्थीगण के खिलाफ उक्त दावा डिक्री करने पर उतारू है। इसलिए हम प्रार्थीगण उक्त प्रकरणो की सुनवायी न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहा नही करवाना चाहते है ओर पत्रावली को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाना चाहते है। इसलिए सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहॉ विचाराधीन दावा संख्या 127/97 महादेव प्रसाद बनाम गिर्राज वगै. को सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। क्योकि वाद 1997 से न्यायालय मे जैरकार है तथा प्रकरण मे बहस हो चुकी है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद भी निराधार तथ्यों पर आधारित है जिसके खारिज होने की सम्भावना को देखते हुए प्रकरण के निस्तारण मे अनावश्यक दैरीना करने की गरज से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वकील अप्रार्थी द्वारा यह तर्क भी दिया कि श्रीमान द्वारा उक्त प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि मूल दावा पत्रावली में दिनांक 20.12.2017 से प्रोसेडिंग प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी की बहस मे चल रही थी अक्टूबर माह 2018 मे पीठासीन अधिकारी ने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया था दोनो पक्षो के अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर दिनांक 30.1.2019 को बहस की गयी एवं पत्रावली दिनांक 13.2.2019 को अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित रखने के कारण प्रकरण में उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निर्णय हेतु दिनांक 27.2.2019 नियत की गयी। इस बीच प्रतिवादीगण ने श्रीमान के यहॉ पर कपोल कल्पित एवं मिथ्या आरोप लगाते हुए यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मूल दावा 1997 से विचाराधीन है सम्भवतया प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से ही प्रतिवादीगण की ओर से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधोहस्ताक्षरकर्ता का दोनो पक्षों से कोई वास्ता नही है। तथा सभी प्रकरणो का निस्तारण बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष रूप से मेरिट के आधार पर किया जाता है। पीठासीन अधिकारी की छवि को नुकसान पहुॅचाने के लिए प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना निराधार एवं असत्य तथ्यों पर आधारित है। उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅचूता हूॅ, कि प्रार्थीगण द्वारा सहायक कलेक्टर न्यायालय गंगापुर सिटी के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। किन्तु वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की गयी है। ऐसी स्थिति में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित दावा संख्या 127/97 उनवानी महादेव प्रसाद बनाम गिर्राज वगै. को सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित समझता हूॅ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना स्वीकार किया जाकर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सें संबंधित दावा संख्या 127/97 दावा उनवानी महादेव प्रसाद बनाम गिर्राज वगै. को सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय से उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। सहायक कलेक्टर गंगुपर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की पत्रावली दिनांक 30.10.2019 से पूर्व उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान दिनांक 30.10.2019 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.10.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.19 17:41:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: